



2026:AHC:67302

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या-- 4438 वर्ष 2026

श्री कृष्ण और 3 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अनिल कुमार, सतीश चंद्र दुबे, सावन कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं ने पहले रिट ए संख्या-397 वर्ष 2026 के रूप में एक याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसे 16.01.2026 को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निपटाया गया था: -

"1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सतीश चंद्र दुबे और राज्य प्रतिपक्षियों की ओर से पेश होने वाले स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा को सुना।

2. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वे ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं जो सेवानिवृत्त हो गए थे, हालांकि, उन्हें योग्यता अवधि को ध्यान में रखते हुए पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वे 03.12.2025 को तय किए गए रिट-ए संख्या-810 वर्ष 2024 (शिव औतार शर्मा और 10 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य) में निर्णय पर भरोसा करना चाहते हैं।

3. प्रस्तुत याचिका में प्रार्थना प्रतिपक्षियों को दावे पर विचार करने के निर्देश के लिए है।



4. स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को पहले उदाहरण में तीसरे प्रतिपक्षी, कार्यकारी अभियंता, नलकूप खंड-वादी, प्रयागराज द्वारा निर्णय की आवश्यकता है।

5. इस तरह के सबमिशन पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे शालीनता से स्वीकार करता है।

6. प्रतिद्वंद्वी पक्षों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ उनके द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जा रहा है, जिससे रिट याचिकाकर्ता को तीसरे प्रतिपक्षी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व दायर करने की स्वतंत्रता दी जा रही है, जो दो सप्ताह की अवधि के भीतर उसी की प्राप्ति पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर सख्ती से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा। यदि तीसरे प्रतिपक्षी की राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकरणों द्वारा किया जाना है तो कागजात उसी को प्रेषित किए जाएंगे।

7. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका पर प्रतिपक्षियों से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, इस आदेश को पारित करने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि यह न्यायालय मामले के गुण-दोष पर विचार कर रहा है।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

2. उपरोक्त के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा 22.01.2026 को प्रतिपक्षी संख्या-3-कार्यकारी अभियंता, नालकूपखंड-आई.एस.टी., प्रयागराज के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा दिनांक 11.02.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, इसलिए प्रस्तुत रिट याचिका है।

3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि हालांकि याचिकाकर्ताओं द्वारा शिव औतार शर्मा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून संबंध में विभिन्न अन्य सामग्रियों और दस्तावेजों के साथ भरोसा किया गया है, लेकिन



याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज करते समय प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) नियम, 2005 नामक कुछ नियमों को एक पंक्ति के आदेश में उद्धृत करने के बाद, याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया था।

4. उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश बिना दिमाग के अनुप्रयोग के और बिना किसी कारण के पारित किया गया है, इसलिए इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

5. प्रतिपक्षी-राज्य की ओर से पेश होने वाले स्थायी अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया गया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा पारित दिनांक 11.02.2026 के आदेश को रद्द किया जा सकता है और इसे रद्द/अपास्त किया जाता है।

7. रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। प्रतिपक्षी संख्या-3 को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से और सकारात्मक रूप से नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

मार्च 31, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)